थाना कादरचौक पुलिस द्वारा दिनांक 22.10.2022 को हत्या की घटना के सफल अनावरण किये जाने संबंध में ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, बदायूँ के आदेशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार तथा क्षेत्राधिकारी उझानी के पर्यवेक्षण मे आज दिनाँक 19.11.2022 थाना कादरचौक पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर चैंकिंग के दौरान थाना कादरचौक क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गंगपुर पुख्ता मे जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि अभियुक्त मुनेश पुत्र स्व0 प्रहलाद सिंह निवासी ग्राम गंगपुर पुख्ता, थाना कादरचौक, जनपद बदायूँ उम्र करीब 33 वर्ष अपने घर पर मौजूद है । इस सूचना पर अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई तो मौजूद मिला अभियुक्त मुनेश उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त से अवगत कराकर हिरासत पुलिस मे लिया गया माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है ।

1.पूछताछ का विवरण

अभियुक्त मुनेश पुत्र स्व0 प्रहलाद सिंह निवासी ग्राम गंगपुर पुख्ता, थाना कादरचौक, जनपद बदायूँ उम्र करीब 33 वर्ष ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मै कभी - कभी शराब पी लेता हूँ तथा दिनांक 22.10.2022 को भी मै शराब के नशे मे था तथा शराब पीने लिए मैने अपनी पत्नी विमलेश से पैसे मांगे थे । लेकिन विमलेश ने पैसे नही दिये और मुझसे झगडा करने लगी थी मैने गुस्से मे आकर उसका गला पकड लिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई साहब मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई है ।

2.गिरफ्तारी का स्थान दिनाँक व समय

घटनास्थल ग्राम गंगपुर पुख्ता दिशा दक्षिण दूरी 02 किमी. हल्का न0-4, थाना कादरचौक,जनपद बदायूँ 19.11.2022 समय 12.40 PM बजे

3.गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुनेश पुत्र स्व0 प्रहलाद सिंह नि0 ग्राम गंगपुर पुख्ता, थाना कादरचौक, जनपद बदायूँ उम्र करीब 33 वर्ष ।

4.अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त- मुनेश पुत्र स्व0 प्रहलाद सिंह नि0 ग्राम गंगपुर पुख्ता, थाना कादरचौक, जनपद बदायूँ उम्र करीब 33 वर्ष ।

1. मु0अ0सं0-433/2022 धारा 302 भादवि थाना कादरचौक, बदायूँ ।

5.गिफ्तार करने वाली टीम थाना कादरचौक पुलिस जनपद बदायूँ

1. थानाध्यक्ष श्री वेदपाल सिंह थाना कादरचौक जनपद बदायूँ
2. उ0नि0 श्री हरीमोहन सिंह थाना कादरचौक जनपद बदायूँ
3. का0 754 सिध्दार्थ कुमार थाना कादरचौक जनपद बदायूँ
4. का0 1523 प्रशान्त चौधरी थाना कादरचौक जनपद बदायूँ
5. म0का0 1478 रचना थाना कादरचौक जनपद बदायूँ

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।